रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

## प्राधिकार से प्रकाशित
## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1—अप्रैल 7, 2017 (चैत्र 11, 1939)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1—APRIL 7, 2017 (CHAITRA 11, 1939)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके**

**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

## विषय-सूची


| | पृष्ठ सं. |
|---|---|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं. | 329 |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. | 265 |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. | 3 |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. | 241 |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. | * |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. | * |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). | * |
| भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. | * |
| भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. | 389 |
| भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस | * |
| भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. | * |
| भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. | 25 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. | 555 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. | * |


*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS


| | Page No. |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 329 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 265 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence | 3 |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence | 241 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations | * |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence | * |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India | 389 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs | * |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners | * |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies | 25 |
| PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies | 555 |
| PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi | * |


*Folios not received.

# भाग I— खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

## [(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

---

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2017

सं. 10/06/2016-एस सी—केन्द्रीय सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों के लिए व्यापार अवसंरचना निर्यात स्कीम (टीआईईएस) नामक एक स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है।

2. उद्देश्य: व्यापार अवसंरचना निर्यात स्कीम (टीआईईएस) का उद्देश्य निर्यात अवसंरचना के अन्तराल को दूर करके, फोकश्ड निर्यात अवसंरचना का सृजन करके, निर्यातोन्मुख परियोजनाओं के लिए आदि से अंत तक संयोजकता लाकर और एसपीएस/टीबीटी अनुपालन सहित प्रमाणन उपायों एवं गुणवत्ता का समाधान करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

3. योजना परिव्यय: यह प्रस्ताव है कि इस योजना में 600 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का एक वार्षिक परिव्यय होगा। अनुमोदित अनुदान का 5% समीक्षा, पुनरीक्षण एवं निगरानी खर्च के प्रयोग के लिए है।

4. योजना अवधि: यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित की जाएगी।

5. दायरा: यह स्कीम संवर्धित निर्यात लिंकेजों सहित जैसे सीमा हाट, भू सीमाशुल्क केन्द्रों, मौजूदा सीमाशुल्क केन्द्रों पर अवसंरचना, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं, व्यापार सम्वर्धन केन्द्र, सेजों तथा हवाई अड्डों/पत्तनों में शुष्क पत्तनों, निर्यात भण्डारगारों और अवसंरचना की स्थापना करके अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना करने और उनका उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। निर्यात संभारों से सम्बंधित परियोजनाओं की आदि से अंत तक की संयोजकता पर भी विचार किया जाएगा।

6. कार्यान्वयन एजेंसियाँ: इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार की एजेंसियाँ, राज्य सरकार की एजेंसियाँ, निर्यात संवर्धन परिषदें, कमोडिटी बोर्ड, शीर्ष व्यापार निकाय जो कि भारत सरकार की एक्जिम नीति के तहत मान्यता प्राप्त हैं, को पात्र माना जाएगा और उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में जाना जाएगा। प्रमुख स्टेक हॉल्डिंग के साथ उपर्युक्त कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाओं और पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाएं भी पात्र हैं।

7. अनुमोदन: वित्तपोषण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों पर इस स्कीम हेतु विशेष रूप से गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा । इस समिति की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव द्वारा की जाएगी और डीजीएफटी एवं डोनर, डीआईपीपी, नीति आयोग के प्रतिनिधि इसके सदस्य होगें।

केन्द्र सरकार की एजेंसियों के मामले में नोडल मंत्रालय और राज्य सरकार की एजेंसियों के मामले में राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाओं का तकनीकी और वित्तीय रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा।

8. वित्तीय सहायता: केन्द्रीय सरकार से सहायता, सामान्यत: सहायता अनुदान के रूप में होगी जो कुल परियोजना लागत में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी जा रही इक्विटी के समान होगी (अर्थात अन्य राज्यों में कुल इक्विटी की 50 प्रतिशत तक और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के लिए इक्विटी की 80 प्रतिशत से अधिक नहीं) । इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के योगदान के परिमाण की गणना करने के उद्देश्य के लिए भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। सामान्यत: प्रत्येक परियोजना के लिए सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा ।

क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों जैसे चमड़ा, वस्त्र, इलेक्ट्रानिक, आईटी आदि के तहत शामिल की जाने वाली परियोजनाओं का और जो निर्यात से संबंधित नहीं है, उन परियोजनाओं को टीआईईएस के अंतर्गत सहायता नहीं दी जाएगी।

सृजित परिसंपत्तियों को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों, भुगतान को सुकर बनाकर और शुल्कों के उपयोग द्वारा बनाए रखा तथा संचालित किया जाएगा।

9. मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन : पैन इंडिया अथवा क्षेत्रीय आधार पर परियोजना की मॉनीटरिंग के लिए डीओसी एक व्यावसायिक एजेंसी नियुक्त करेगा। नियुक्त की गई व्यावसायिक परियोजना मॉनीटरिंग एजेंसी (पीएमए) परियोजना के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में डीओसी की सहायता करेगी। पीएमए तकनीकी संभाव्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और संसाधन के इष्टतम उपयोग के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर का मूल्यांकन करेगी। पीएमए प्रस्तावों की समीक्षा/मूल्यांकन, विभिन्न परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, वास्तविक प्रगति, कार्यों के निष्पादन की गुणवत्ता, प्रापण और समय-समय पर परियोजना के संबंध में समयसीमा के अनुपालन का कार्य आरंभ करेगी तथा उसकी आवधिक रिपोर्ट अधिकार प्राप्त समिति द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगी।

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवश्यक रूप से परियोजना मॉनीटरिंग समिति (पीएमसी) की नियुक्ति की जाएगी । पीएमसी बिना किसी अतिरिक्त समय और अधिक लागत के परियोजना को समय पर तथा उसके उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी ।

संजय चड्डा
संयुक्त सचिव

---

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2017

संकल्प

सं. 46013/29/2015-स्थापना—केंद्र सरकार, वस्त्र समिति नियमावली, 1965 के नियम 3 के साथ पठित वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र समिति के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करती है:—

| क्र.सं. | वस्त्र समिति का गठन | नियम | नियुक्त व्यक्ति के नाम और पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष | 3(1)(क) | श्री गौतम सिंघानिया, प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष, रेमंड लि., मुंबई |
| 2 | उपाध्यक्ष | 3(1)(ख) | डॉ. कविता गुप्ता, वस्त्र आयुक्त, मुंबई |
| 3 | संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वस्त्र समिति प्रभारी | 3(1)(ग) | श्री ए. मधुकुमार रेड्डी |
| 4 | निदेशक/उप-सचिव, आंतरिक वित्त, वस्त्र मंत्रालय, पदेन | 3(1)(घ) | श्री आरवीएस मणि |
| 5 | सचिव, वस्त्र समिति, पदेन | 3(1)(ङ) | श्री अजित बी. चव्हाण, सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई |
| 6 | अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (पूर्व भारतीय कपास मिल्स संघ) | 3(1)(च) | श्री नैषाद पारीख |
| 7 | अध्यक्ष, द सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन | 3(1)(ज) | श्री एम. सेंथिल कुमार |
| 8 | अध्यक्ष, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल | 3(1)(झ) | श्री उज्जवल आर. लाहोटी |
| 9 | अध्यक्ष, सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल | 3(1)(ञ) | श्री अनिल राजवंशी |
| 10 | अध्यक्ष, टेक्सटाइल मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन | 3(1)(ट) | श्री आर. राजेन्द्रन |
| 11 | महासचिव, भारतीय उद्योग परिसंघ | 3(1)(ठ) | श्री चंद्रजीत बनर्जी |
| 12 | अध्यक्ष, अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल | 3(1)(ड) | श्री अशोक जी. राजानी |
| 13 | अध्यक्ष, वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल | 3(1)(ढ) | श्री सुशील कौरा |
| 14 | अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क विविंग इंडस्ट्री | 3(1)(ण) | श्री भरत टी. गांधी |
| 15 | निदेशक, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा) | 3(1)(त) | श्री सी. आर. प्रयाग |
| 16 | अध्यक्ष, पडेक्सिल, मुंबई-सहायक सदस्य | 3(2) | श्री पुरुषोत्तम के. वंगा |

2. वस्त्र समिति के प्रत्येक सदस्य, पदेन सदस्यों के अलावा, का कार्यकाल वस्त्र समिति नियमावली, 1965 के नियम 8 के प्रावधानों के अध्यधीन इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा। नियम 3 (1) (च), 3(1) (ज) से 3(1) (ण), 3(1) (त) और नियम 3(2) के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सदस्यता उद्योग निकायों/संघों के अध्यक्ष आदि के रूप में उनके पदों के आधार पर समाप्त होगी जब वह उस पद पर नहीं रहता/रहती है तथा इस कारण रिक्त पद, उस कार्यालय में उस पद को उसके उत्तराधिकारी द्वारा भरा माना जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संबंधित सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. मधुकुमार रेड्डी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 27th March 2017

No. 10/06/2016-SC—The Central Government has approved a scheme titled Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) for 3 years from 2017-18 to 2019-20.

2. Objective: The objective of the Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) would be to enhance export competitiveness by bridging gaps in export infrastructure, creating focused export infrastructure, first mile and last mile connectivity for export-oriented projects and addressing quality and certification measures including SPS/TBT compliance.

3. Scheme outlay: It is proposed to that the scheme would have a budgetary allocation of Rs 600 Cr with an annual outlay of Rs 200 Cr per year. 5% of the grant approved used for appraisal, review and monitoring expenses.

4. Scheme period: Scheme would be implemented from the financial year 2017-18 till 2019-20.

5. Scope: The scheme would provide assistance for setting up and upgrading the infrastructure projects with overwhelming export linkages like the Border Haats, Land customs stations, infrastructure at the existing Customs Stations, quality testing and certification labs, trade promotion centres, establishment of dry ports, export warehousing and infrastructure in the SEZ's and ports/airports. Last and first mile connectivity projects related to export logistics will also be considered.

6. Implementing agencies: Central Government Agencies, State Government Agencies, Export Promotion Councils, Commodities Boards, Apex Trade Bodies recognised under the EXIM policy of Government of India shall be eligible for financial support under this Scheme and will be known as Implementing Agencies. Projects of above implementing agencies with major stake holding and implemented under PPP model are also eligible.

7. Approvals: The proposals of the implementing agencies for funding will be considered by an Empowered Committee specially constituted for this Scheme. The Committee is to be chaired by the Commerce Secretary and has DGFT, representatives from DoNER, DIPP, NITI Aayog as its members.

Projects of Implementing Agencies shall be technically and financially vetted by the Nodal Ministry in case of Central Government agencies and the respective Departments of the State Government in case of the State Government Agencies.

8. Financial assistance: The Central Government assistance will in form of grant-in-aid normally matching upto the equity being put in by the implementing agencies in the total project cost (i.e. upto 50% of the total equity in other states and not more than 80% of the equity for projects located in North East and Himalayan States). The cost of land shall not be included in the project cost for the purpose of calculating the extent of contribution of the implementing agency under the Scheme. The grant-in-aid shall be subject to a ceiling of Rs 20 Cr normally for each of the project.

Projects which can be covered under sector specific schemes like the leather, textiles, electronics, IT etc. and not related to exports will not be supported under TIES.

The assets created are to be maintained and operated by the implementing agencies through their own resources, leveraging Pay and Use charges.

9. Monitoring & evaluation: DoC to engage a professional agency for project monitoring on a pan India basis or regional basis. This professional Project Monitoring Agency (PMA), so engaged, would assist DoC in technical and financial appraisal of the project. PMA will appraise the DPR submitted by the implementing agency with respect to technical feasibility, financial viability and optimal utilization of resource. The PMA will undertake appraisal/evaluation of the proposals, monitoring the various projects, the physical progress, quality of execution of works, procurements and adherence to the timelines in respect of the project from time to time and submit periodic reports thereon for the review by the Empowered Committee.

A Project Monitoring Committee (PMC) shall be mandatorily required to be put in place by the Implementing Agency. The PMC will ensure timely and proper implementation of the project without time and cost overruns.

SANJAY CHADHA
Joint Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 22nd March 2017

RESOLUTION

No. 46013/29/2015-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963) read with Rule 3 of the Textiles Committee Rules, 1965, the Central Government hereby appoints the following persons to the Textiles Committee with immediate effect :

| Sl. No. | Composition of Textiles Committee | Rule | Name & Designation of the person appointed |
|---|---|---|---|
| 1. | Chairman | 3(1)(a) | Shri Gautam Singhania, Managing Director and Chairman, Raymond Limited, Mumbai |
| 2. | Vice Chairman | 3(1)(b) | Dr. Kavita Gupta, Textile Commissioner, Mumbai |
| 3. | Joint Secretary to the Government of India, Incharge of Textiles Committee | 3(1)(c) | Shri A. Madhukumar Reddy |
| 4. | Director/Deputy Secretary, Internal Finance, Ministry of Textiles, ex-officio | 3(1)(d) | Shri R.V.S. Mani |
| 5. | Secretary, Textiles Committee, ex-officio | 3(1)(e) | Shri Ajit B. Chavan, Secretary, Textiles Committee, Mumbai |
| 6. | Chairman, Confederation of Indian Textile Industry (formerly Indian Cotton Mills Federation) | 3(1)(f) | Shri Naishadh Parikh |
| 7. | Chairman, The Southern India Mills Association | 3(1)(h) | Shri M. Senthil Kumar |
| 8. | Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council | 3(1)(i) | Shri Ujwal R. Lahoti |
| 9. | Chairman, Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council | 3(1)(j) | Shri Anil Rajvanshi |
| 10. | President, Textile Machinery Manufacturers Association | 3(1)(k) | Shri R. Rajendran |
| 11. | Secretary General, Confederation of Indian Industry | 3(1)(l) | Shri Chandrajit Banerjee |
| 12. | Chairman, Apparel Export Promotion Council | 3(1)(m) | Shri Ashok G. Rajani |
| 13. | Chairman, Wool & Woolens Export Promotion Council | 3(1)(n) | Shri Sushil Kaura |
| 14. | President, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry | 3(1)(o) | Shri Bharat T. Gandhi |
| 15. | Director, Ahmedabad Textile Industry's Research Association (ATIRA) | 3(1)(q) | Shri C. R. Prayag |
| 16. | Chairman, PDEXCIL, Mumbai – Co-opted Member | 3(2) | Shri Purushottam K. Vanga |

2. The term of the office of every member of the Textiles Committee, other than ex-officio members, shall be for two years with effect from the date of issue of this Resolution subject to the provisions of Rule 8 of the Textiles Committee Rules 1965. The membership of the persons appointed under Rule 3(1) (f), 3(1)(h) to 3 (1)(o), 3(1)(q) and Rule 3(2) by virtue of their posts as Chairman, President etc. of the Industry Bodies/Associations shall be terminated when he or she ceases to hold that office and the vacancy so caused shall be deemed to have been filled up by his/her successor to that office.

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Members.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. MADHUKUMAR REDDY
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017



BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.04.01 11:30:41 +05'30'